

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

4-सूरतगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री डूंगरराम गेदर

22 एल जी डब्ल्यू, ढाबां झालार तह. सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन - क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक्

रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : श्रीगंगानगर

दिनांक : 03 दिसम्बर 2023

(संदीप कुमार)
रिटर्निंग ऑफिसर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सूरतगढ़

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the
4-SURATGARH Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri DUNGARRAM GEDAR

22 LGW, DHABAN JHALAR TEH. SURATGARH SHREE GANGANAGAR
sponsored by **INDIAN NATIONAL CONGRESS** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Sri Ganganagar
Dated: 03 December 2023

(Sandeep Kumar)
Returning Officer
Sub Divisional Officer and
Sub Divisional Magistrate
Suratgarh